

31.5.17 आज यह पत्रावली राजस्व लीड अदालत डिम्प कोर्ट
अपेल सेवा डेस्क पुरैनी पर पेश हुई। कोर्ट उपस्थित
नहीं। कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली दिनांक
6/7/17 को पेश है। निम्न

पुनश्चम इतना लिखने से उपरान्त वादिया नवलदेई
उपन वादिया नवलदेई ने अवगत कराया कि इनका
इसी विवादित आराजी के वक्लर सिविल न्यायालय धौलपुर
में वाद विचारधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा हमारे पत्र
में रथान आवेश जारी किया हुआ है। जिसके कारण
अब इस न्यायालय में कार्यवाही की आवश्यकता

नहीं है। अतः अब इस न्यायालय से
कार्यवाही हटायी जावे। आवश्यकता पड़ने पर
पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

अतः वादिया की प्रार्थना पर कार्यवाही हटायी
की जाती है तथा वादिया आवश्यक सगड़ी नो

पुनः वाद प्रस्तुत करने की भी अनुमति पदान की
जाती है पत्रावली केवल शुभार होकर कारखिल
दफ्तर हो। निम्न